मो. 9425141376, फोन- 07682-241681

75 साल की महिला के साथ दुराचार कर हत्या के मामले में आरोपी को सजाए मौत

छतरपुर। मानवता को शर्मशार कर 75 साल की बृद्ध महिला के साथ दुराचार करने और हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 22 फरवरी 2017 को सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 75 वर्षीय मृतिका के घर में किराए से रहती है। 21 फरवरी की रात्रि को वह मृतिका को खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि मृतिका के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। उसके शरीर में चोटे थी और गुप्तांग से खून बह रहा था। मृतिका का घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना स्थल से एक चश्मा और शर्ट के बटन बरारद किए। 28 फरवरी को इलाज के दौरान पीड़िता की ग्वालियर में मौत हो गई। चश्मे के आधार पर रीबू उर्फ अखबर खान उम्र 25 साल निवासी नया मोहल्ला को हिरासत से लेकर पूंछ तांछ की। रीबू ने पुलिस को बताया कि वह घटना दिनांक को शादी से वापिस लोट रहा था। रात्रि करीब एक बजे पीड़ित के घर में घुस गया था। घर में पीड़िता अकेली सो रही थी उसी दौरान उसने बृद्ध पीड़िता की मारपीट कर जबरन दुराचार किया। पीड़िता बेहोश हो गई थी और उसका चश्मा मौके पर ही गिर गया था। एवं छीना झपटी में उसकी शर्ट का बटन भी टूट गया था। 28 फरवरी को इलाज के दौरान तत्कालीन एसपी ललित शाक्यवार ने मामले को जघन्य सनसनी खेज मामले में चिंहित किया। लाइजिंग अधिकारी निरीक्षक अरविंद कुजूर ने रीबू को गिरफ्तार कर मामला विवेचना कर कोर्ट के सुपुर्द किया।

प्रयोगशाला सागर में हुआ मिलान:

पुलिस ने मौके से जब्त बटन एवं घटना के समय पहने खून एवं जैविक पदार्थ से लगे कपड़े राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर जांच के लिए भेजे गए। जांच में यह प्रमाणित हुई कि मौके

...शेष पृष्ठ दो पर

सटई में पालतू सुअरों

श्री महालक्ष्मी दैव्यीय नमः श्री अग्रसेन जयते